न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 101/2020 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2020/00102)

1. भीवाराम पुत्र रूधाराम जाति जाट निवासी कोडसर जाटान तहसील सुजानगढ जिला चूरू।
2. श्रीरामराम पुत्र रूधाराम जाति जाट निवासी कोडसर जाटान तहसील सुजानगढ जिला चूरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सुजानगढ।
2. सीताराम पुत्र गुमानदास जाति स्वामी निवासी कोडासर जाटान तहसील सुजानगढ जिला चूरू।
3. रूपाराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी कोडासर जाटान तहसील सुजानगढ जिला चूरू।
4. रामी देवी पत्नी नानूराम जाति जाट निवासी कोडासर जाटान तहसील सुजानगढ जिला चूरू।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री राजेश बैद — अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री प्रहलाद जाखड़ — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 4
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांकः 22.11.2021

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के निर्णय दिनांक 11.09.2020 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी द्वारा चालू आम रास्तो/सड़क का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन वास्ते प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार सुजानगढ को पेश किया। तहसीलदार सुजानगढ द्वारा उसी प्रस्ताव को उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ को भेजकर प्रस्ताव अनुसार राजस्व रेकार्ड मे अंकन करने के आदेश देने का निवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ ने अपने आदेश दिनांक 11.09.2020 द्वारा तहसीलदार सुजानगढ को भेजकर नियमानुसार प्रस्ताव अनुसार राजस्व रेकार्ड मे अगल दरामद करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील पेश की गई है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने दिनांक 12.04.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 धारा 151 सीपीसी मय फार्म नं.3 के साथ दस्तावेज पेश कर रिकोर्ड पर लेने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 के अभिभाषक ने फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेज पेश किया तथा प्राथमिक आपत्ति पेश कर अपील क्षेत्राधिकार विहीन मानते हुए खारिज करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दिनांक 12.04.2021, प्राथमिक आपत्ति के साथ अंतिम बहस सुनी गई। अपीलान्ट के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 धारा 151 सीपीसी पर बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है जिसमें अपीलान्ट अपनी ओर से साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही कर सके। उक्त दस्तावेज प्रकरण में अहम् दस्तावेज है जिसको रिकोर्ड पर लिये जाने से न्यायालय को प्रकरण के निस्तारण में सहयोग मिलेगा। अतः दस्तावेज को रिकोर्ड पर लिये जाने के आदेश फरमावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 के अभिभाषक ने उक्त दस्तावेज को रिकोर्ड पर लिये जाने का विरोध कर प्राथमिक आपत्ति पर बहस कर कहा कि प्रकरण रास्ते से सम्बन्धित है, तथा जो अदालत मातहत ने रास्ता कायम किया है वह भी काश्तकारी अधिनियम के तहत कायम किया है, इसलिए उक्त आदेश के विरूद्व अपील राजस्व अपील अधिकारी के यहा प्रस्तुत करनी चाहिए थी, उक्त अपील क्षेत्राधिकार विहीन होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाई जावे। अपीलान्ट के अभिभाषक ने बहस का जबाव देते हुए कहा कि रास्ता सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत जारी परिपत्र के अधीन पारित किया गया है, इस कारण उक्त प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को ही है। हमने दोनो प्रार्थना पत्र पर अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया। अपील अपीलान्ट भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 व 136 के तहत बने नियम 58, 59 ,66 व 86 के परिपेक्ष्य मे जारी परिपत्र के अनुसरण में पारित आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुंत की जो इस न्यायालय के श्रवणाधिकार एव क्षेत्राधिकार

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मे है जहा तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 धारा 151 सीपीसी का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में सुनवाई का अवसर नही दिया जिसके चलते अपील से सम्बधित दस्तावेजात प्रस्तुत करने का अवसर अपीलान्ट को प्राप्त नही हो सका। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 धारा 151 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर दस्तावेजात को रिकोर्ड पर लिया जाता है।

5. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि मौजारोही कोडासर जाटान के खसरा नं. 15 में तादादी 4.6660 हैक्टर स्थित है। जिसमे अपीलान्ट ढाणी बना कर परिवार सहित निवास करते है तथा उक्त खातेदारी भूमि के चारो तरफ पट्टीया लगाकर तारबन्दी की हुई है। मौके पर कभी भी उक्त वादगत भूमि में किसी प्रकार का कोई कदमी रास्ता ना तो था, ना ही प्रचलन में रहा है। अपीलान्ट की वादगत भूमि के पश्चिम में खसरा नं. 13 (209/13) रामीदेवी पत्नी नानूराम के नाम से है तथा उसी उत्तर के खसरा नं. 14 से होते हुए खसरा नं. 12 व 11 को रास्ता प्रचलन में रहा है। चुंकि आदेश से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि मेसे खसरा नं. 14, 12, व 11 के काश्तकारो को रास्ता दिया गया है। खसरा नं. 14 व 13 (209/13) एक ही परिवार की भूमिया है जिसमे खसरा नं. 13 व 14 के काश्तकारो को ना तो कभी रास्ते की आवश्यकता रही क्यो कि खसरा नं. 13 व 14 मेसे होकर खसरा नं. 12 व 11 के काश्तकार आते जाते रहे है। इससे भी स्पष्ट है कि आदेश जैर अपील राजनैतिक दैषता के कारण मनमाने व स्वच्छाचारी तरीके से मात्र अपीलान्ट को तग व परेशान करने की नियत से पारित किया गया है। आदेश जैर अपील से अपीलान्ट का खेत दो भागो मे विभक्त हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के जिस अधिसूचना सन् 2016 का सहारा लेकर आदेश जैर अपील पारित किया है उसकी समयाविधि काफी पूर्व समाप्त हो चुकी है। साथ ही इस अधिसूचना में दी गई व्यवस्थाओ का पूर्ण एव विधिक पूर्वक पालन नही किया गया है। उक्त अधिसूचना में स्पष्ट है कि हितबद्ध व्यक्तियो को सुनवाई का अवसर

प्रति.संभागीय आयुक्त बीकानेर

दिया जायेगा। आदेश जैर अपील पूर्णतया इकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अधिसूचना सन् 2016 के अधीन आदेश जैर अपील सन् 2020 मे पारित किया है अर्थात् चार वर्ष पूर्व तथाकथित रास्ता प्रचलन मे नही था। यदि होता तो उसी समय सन् 2016 में ही पटवारी हल्का सरकार को निर्देशानुसार तहसीलदार को रिर्पोट करता और अंकन की कार्यवाही की जाती। अपीलान्ट के खेतो के बीच मे से वर्तमान में हुए पंचायत चुनाव की राजनैतिक रंजिस निकालने के उदेश्य से ग्राम पंचायत चरला के निवेदन पर कार्यवाही की है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा कुल 17 रास्ते अलग अलग भूमियो में कायम करने का निवेदन किया गया थां। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दबाव व साजिश पूर्वक तरीके से केवल मात्र अपीलान्ट की भूमि मे से ही रास्ते के अंकन करने के आदेश पारित किये है। उपरोक्त विवादित आदेश में वर्णित खसरा नं. 12 के काश्तकार सीताराम व अपीलान्ट के मध्य जिला कलक्टर चूरू एवं सिविल न्यायाधीश क,ख, सुजानगढ में पूर्व से ही उक्त रास्ते के सम्बन्ध मे विवाद एव अपील जैरकार है। कानून का मान्य सिद्वान्त हे कि जहा न्यायालयो मे एक ही विषय वस्तु के सम्बन्ध मे तथा एक अनुतोष के लिये पूर्व ही वाद विचाराधीन हो वहा भू राजस्व अधिनियम के तहत सरसरी कार्यवाही नही की जानी चाहिए। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाई जावे। आदेश जैर अपील के क्रम मे राजस्व रेकार्ड में किये गये परिवर्तनो का पुनः स्थापित करने के आदेश फरमावे।

6. रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 4 के अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित रास्ता नया नही है, ये बहुत पहले से चल रहा था। रास्ता अंकन से पहले 3 वार्डपंचो की मौका रिर्पोट बनाई गई जिसमे मौके पर पहुच कर निरीक्षण कर यह माना की वहा पुराने जमाने से लोग ढाणिया बनाकर रहते है मौके पर रास्ता चालू है, जो एक मात्र यही रास्ता है। रास्ते की प्रक्रिया यदि सिविल न्यायालय में विचाराधीन चल रही हो तो भी उसे रोकी नही जा सकती है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सं. 2 ता 4 के अभिभाषक अपने कथन के समर्थन में 2013 (2) DNJ पृष्ठ 697, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। तहसीलदार सुजानगढ के द्वारा दिनांक 31.08.2020 को प्रस्ताव बनाकर उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ को प्रेषित किये गये जिस पर उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ द्वारा अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना मूल प्रस्ताव पर ही प्रस्ताव स्वीकार करते हुए राजस्व रिकोर्ड में अंकन करने के आदेश दिये है। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प3 (2) राज–6 /2003 पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसार विधिवत पालना करते हुए प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिये था, साथ ही उक्त प्रकरण में विचाराधीन राजस्व/सिविल प्रकरणो की वर्तमान स्थिति तथा उसका इस प्रकरण पर पड़ने वाले प्रभावो के बारे में भी विचार किया जाकर समूचित आदेश पारित किया जाना चाहिये। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के अपीलाधीन निर्णय को कायम रखा जाना उचित नही है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–09–2020 को अपास्त किया जाता है। तथा प्रकरण पुन उपखण्ड अधिकारी सुजागढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि उभय पक्ष को सुनकर, राजस्व सिविल न्यायालयो में विचाराधीन प्रकरणो को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के निर्देशो अनुसार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 22–11–2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।